

सत्यमेव जयते
 भारतीय न्याय प्रणालि 1908 की प्राप्ति
 4.6.12
 शास्त्र: भारतीय न्याय प्रणालि
 (भारतीय न्याय प्रणालि) 1899 की प्राप्ति
 1 का 1 का संख्या 23 I.A. With the permission
 उपरिक्त यथावत संख्या by L.R.D.C. Simdega
 सिद्ध (का न्याय प्रणालि प्रणालि का
 1 संख्या प्रणालि प्रणालि संख्या case No. 154/ 2012-13

order dated 30-1-13
 01/11/13
 01-11-13



विश्वास लकड़ा
 01/11/2013

लेख्यकारी:- श्री विश्वास लकड़ा पिता स्व० बेलस लकड़ा
 जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- घोघोटोली,
 थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

... .. बिफ्रेता ।
 शसथ-पत्र संख्या:- 665 / 2013

न्याय प्रणालि प्रणालि प्रणालि प्रणालि

श्री विश्वास लकड़ा
 श्री विश्वास लकड़ा
 श्री विश्वास लकड़ा
 श्री विश्वास लकड़ा
 01-11-2013



--2--

॥2॥ लेख्यधारिणी:- सुश्री संगम लकड़ा पिता स्व० मसो प्रकाश लकड़ा, जाति- उराँव, पेशा- छेतीबारी, निवास ग्राम- घोचोटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 666 / 2013

॥3॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥4॥ मूल्य:- मोबलिंग एक लाख पैंतालिस हजार रुपये अंके 1,45,000/- रुपये होता है ।

॥5॥ सम्पत्ति:- सराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा घोचोटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 116, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के छाता नं० 75 ॥पचहत्तर॥ प्लॉट नं० 563 ॥पाँच सौ तिरसठ॥ रकबा 0.40 एकड़ में से 0.05 एकड़ ॥पाँच डिसमिल॥ शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसको चौहद्दी:-

उत्तर:- कच्चा रास्ता 10 फीट का,

दक्षिण:- विश्वासी तिकी का घेरा,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश नीज,

पश्चिम:- किरणु साव का घेरा ।

मालगुजारी 2 पैसा ॥दो पैसा॥ अलावे सेस सलाना ।

विश्वाम लकड़ा
01/11/2013

लकड़ी
श्रीमती लकड़ा
पिता- स्व० विश्वाम लकड़ा
ग्राम- घोचोटोली
प्लॉट- राउंड, थाना- सिमडेगा
जिला- सिमडेगा दि. 1-11-2013



--3--

१।१ चूंकि मुझे लेख्यकारो को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

१।२ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

१।३ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन खतियानी है । जिसका खतियान मेरे परदादा पौलस उराँव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मालगुजारी की रसीद कुमोद उराँव वगैरह के नाम से कटती है । उक्त जमीन उत्तराधिकार में मेरे पिता को प्राप्त हुई तथा उनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में मुझे प्राप्त हुआ है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

बिबला लखड़ी

०१/११/२०१३

मैंने परदादा पौलस
के नाम से नाप
दर्ज है । मालगुजारी
की रसीद कुमोद उराँव
वगैरह के नाम से कटती
है । उक्त जमीन उत्तराधिकार
में मेरे पिता को प्राप्त हुई
तथा उनके मृत्यु के बाद
उत्तराधिकार में मुझे प्राप्त
हुआ है जिसपर मेरा
निर्विवाद हक दखल
वो कब्जा है और किसी
प्रकार का वाद या
झगड़ा झंझट नहीं है ।

०१/११/२०१३



--4--

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमान खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिम्डेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 154/2012-13 है जिसको स्वीकृति दिनांक 30.01.13 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 121/13 दिनांक 30.01.2013 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिम्डेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरुआ के तहत नहीं है ।

बिन्दास लाल
01/11/2013



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमोन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

विश्वास लच्छा 01/11/2013



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाँधे हाथ के पाँचों अंगुलियों का हवाप में सभे से लिया गया।


महेश्वर दास शिवका
09/11/2013

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमोन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

संगम लच्छा 01-11-2013



विश्वास लच्छा
01/11/2013



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बाँधे हाथ के पाँचों अंगुलियों का



--6--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सहो/-

महेश्वर दास
अधिलेखी का
प्रारूपकर्ता

तारीख:- 07/11/2013

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल 8 पृष्ठों में कुल 648 शब्द टंकित हैं जो छण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

विश्वास लकड़ा
01/11/2013

टंकक
मो० मकसुद
1-11-2013

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

विश्वास लकड़ा
01/11/2013